

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-08/2021

प्रेषक,

5093

पटना, दिनांक-
8/10/21

संजय दूबे मा0प्र0से0
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

अभियंता प्रमुख कार्यालय, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना।

विषय:- मांग सं0-37 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2515/3451 एवं राज्य स्कीम 2515 का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्राक्कलन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग का पत्रांक-641 दिनांक-07.09.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2515/3451 एवं राज्य स्कीम 2515 का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्राक्कलन वेतनादि मद में कुल वास्तविक कार्यरत बल के अनुसार अनुमानित व्यय के आधार पर किया जाना है। इसलिए प्रत्येक कोटि के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की संख्या विहित प्रपत्र-V में उपलब्ध कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्र में दिये गये निदेशों का पालन करते हुए विहित प्रपत्र-V में विपत्रवार सूचनाएँ अंकित कर वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्राक्कलन दिनांक-11.10.2021 तक विशेष दूत के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया जाय। जिन कार्यालयों से ससमय बजट प्राक्कलन विभाग को प्राप्त नहीं होता है, उन कार्यालयों को आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अनु0: यथोक्त।

विश्वासभाजन



सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-08/2021

5093

पटना, दिनांक- 8/10/21

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय साईट पर अविलम्ब अपलोड करते हुए सभी संबंधित के मेल पर प्रेषित किया जाय।



सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
वित्त विभाग

विशेष सचिव

एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/सभी नियंत्री पदाधिकारी।
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 07.09.2021



विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्राक्कलन तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार कर वित्त विभाग को ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश।

8013

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट तैयारी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गया है। आप अवगत होंगे की सीमित संसाधनों से राज्य के समावेशी विकास लिए सरकार की नीतियों तथा विकास/जनकल्याण के कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उनके योजनाबद्ध क्रियान्वयन हेतु राशि उपबंधित करने के लिए वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। राज्य सरकार के सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बजट एक महत्वपूर्ण साधन है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं वित्तीय प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 का व्यय प्रस्ताव तैयार किया जाना है। राजस्व घाटा को शून्य तथा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की अधिसीमा तक रखा जाना है। इसलिए बजट प्राक्कलन तैयार करते समय मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के सिद्धान्त का अनुपालन अवश्य किया जाय। कोविड-19 महामारी के कारण राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ते दबाव के मद्देनजर भी व्यय की अत्यावश्यकता की गहन समीक्षापरान्त ही बजट उपबंध कराया जाना होगा। अतएव गहन समीक्षा कर ली जाय एवं Need Based प्रस्ताव ही भेजा जाय।

भाग-क. बजट प्रस्तावना

2. बजट के लेखे- राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा निधि पर तैयार किया जाता है। बजट प्रावधान राज्य की समेकित निधि के विभिन्न शीर्षों में किया जाता है। समेकित निधि प्राप्ति एवं व्यय में विभक्त होता है। व्यय को राजस्व एवं पूंजीगत खाते में विभक्त किया जाता है जिसे प्रभृत एवं मतदेय में बाँटा जाता

829/5013
13/9/21

अ.सि.
31m
10/9/21

है। इसी प्रकार प्राप्ति को राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति के रूप में अलग-अलग दिखाया जाता है। इस प्रकार बजट का निर्माण राजस्व एवं पूंजीगत खाते पर प्राप्ति एवं व्यय दोनों मदों में किया जाता है जिसके लिए मुख्य शीर्ष (Major Head) का समूह निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

क्र.	बजट के वर्ग	चार अंकीय मुख्य शीर्ष (Major Head) के प्रथम अंक
1	राजस्व प्राप्ति	0 या 1
2	राजस्व व्यय	2 या 3
3	पूंजीगत प्राप्ति मुख्य शीर्ष	4000
4	पूंजीगत परिव्यय	4 या 5
5	लोक ऋण (प्राप्ति एवं व्यय) मुख्य शीर्ष	6001 - 6005
6	ऋण एवं अग्रिम (प्राप्ति एवं व्यय) मुख्य शीर्ष	6075 - 7810
7	आकस्मिकता निधि एवं (प्राप्ति एवं व्यय) मुख्य शीर्ष	8000
8	लोक लेखा (प्राप्ति एवं व्यय) मुख्य शीर्ष	8001 - 8999

3. विपत्र कोड- बजट का उपबंध 19 अंकीय विपत्र कोड में किया जाता है, जिसकी संरचना नीचे के सारणी से समझी जा सकती है। CFMS लागू होने के बाद प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित बजट शीर्ष के साथ संबंधित मांग संख्या को जोड़ा गया है। विपत्र कोड की संरचना अब निम्नवत् है:-

क्र.	विषय	कोड
1	मांग संख्या	2 अंक (यथा 01 - कृषि विभाग, 21 शिक्षा आदि)
2	मुख्य शीर्ष	4 अंक (यथा- 2401 कृषि, 2210-स्वास्थ्य आदि)
3	उपमुख्य शीर्ष	2 अंक (यथा- 00, 01, 02)
4	लघु शीर्ष	3 अंक (यथा- 001, 101, 102)
5	उपशीर्ष	4 अंक (यथा- 0001, 0101 आदि)
6	विस्तृत शीर्ष	2 अंक (01 वेतन, 13 कार्यालय व्यय आदि)
7	विषय शीर्ष	2 अंक(01, 02, 06 आदि)

क्रमांक 1 से 5 तक शीर्ष कोडों को मिलाकर 15 अंकीय विपत्र कोड बनता है। जैसे 12-2054.00.097.0001 कौषागार स्थापना, 12-2052.00.090.0008 वित्त विभाग आदि। इन विपत्र कोडों के अंतर्गत क्रमांक 6 एवं 7 पर अंकित विस्तृत एवं विषय शीर्षों में राशि का उपबंध किया जाता है। विस्तृत शीर्ष एवं

विषय शीर्ष दो-दो अंकों का कोड है, जो प्राप्ति एवं व्यय मदों के लिए अंतिम प्राथमिक इकाई है।

28

विस्तृत एवं विषय शीर्षों की सूची अनुलग्नक-1 में देखी जा सकती है।

4. वित्तीय वर्ष 2017-18 से गैर योजना एवं योजना मद का एकीकरण करते हुए बजट को मुख्यतः छः वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें विपत्र कोड के चार अंकीय उपशीर्ष के प्रथम दो अंकों के आधार पर निम्नवत् पहचाना जा सकता है:-

क्र.सं.	बजट के वर्ग	चार अंकीय उपशीर्ष के प्रथम दो अंक
1	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	00 (यथा 0001, 0020)
2	राज्य स्कीम	01 (यथा 0101, 0123)
3	केन्द्र प्रायोजित स्कीम का केन्द्रांश	02 (यथा 0201, 0218)
4	केन्द्र प्रायोजित स्कीम का राज्यांश	03 (यथा 0301, 0318)
5	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	04 (यथा 0401, 0421)
6	वाह्य सम्पोषित परियोजनाओं के राज्यांश एवं केन्द्रांश	05 (यथा 0501, 0511)

भाग-ख. बजट प्राक्कलन तैयार करने हेतु निम्नांकित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में वेतन एवं भत्ते, मजदूरी, यात्रा व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कार्यालय व्यय, सामग्री एवं आपूर्ति, मुद्रण एवं प्रकाशन, विज्ञापन, प्रशिक्षण, अनुरक्षण एवं मरम्मत, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं, दर किराया एवं कर, मोटर गाड़ी क्रय, पेंशन प्रभार, ऋण/ब्याज का भुगतान एवं अन्य व्यय जो एक कार्यालय के दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, सम्मिलित हैं। स्थापना मद में होने वाले व्यय का आकलन वास्तविक परक किया जाना आवश्यक है ताकि सरकारी कर्मियों के वेतनादि भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में निम्नांकित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा।

5.1 सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों की संख्या के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-V) में सूचना देने के अतिरिक्त प्रत्येक उपशीर्ष के संबंध में दिये गए प्राक्कलन के औचित्य के संबंध में एक आत्मभारित टिप्पणी अग्रपृष्ठ पर अंकित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए दें:-

- (क) उपशीर्ष से संबंधित कार्य अथवा स्कीम के उद्देश्य।
- (ख) प्रस्तावित कार्यक्रम के समेकित उद्देश्य (Overall Objective) के संबंध में औचित्य।
- (ग) वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा 2022-23 के लिए प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य।
- (घ) उपशीर्ष से संबंधित अथवा स्कीम में वर्तमान में स्वीकृत/कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के पद एवं पदों की संख्या का औचित्य।

5.2 सभी विभागाध्यक्ष एवं नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वर्तमान की सभी स्कीमों की गहराई से समीक्षा की जाय, ताकि ऐसी स्कीमों जो वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रही हैं, को समाप्त किया जा सके अथवा फेज आउट किया जा सके। ऐसी स्कीमों के अन्तर्गत कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके तथा जहां कार्यरत बल अधिक है उन्हें अन्यत्र पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया जाय। प्रशासी विभाग द्वारा विभागवार एवं पदवार तथा वेतनमान के अनुसार कुल स्वीकृत एवं कार्यरत बल की समेकित विवरणी भी उपलब्ध करायी जानी है।

5.3 वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन- विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए उतनी ही राशि का बजट में प्रावधान कराया जाना चाहिए जितनी राशि का व्यय होना संभावित है। किसी भी उपशीर्ष में राशि की बचत नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए ही आवश्यकता के आधार पर संबंधित उपशीर्ष में बजट उपबंध किया जाना है।

यहां यह भी ध्यान रखा जाना है कि वर्ष 2022-23 में उपशीर्षवार तथा विस्तृतशीर्ष एवं विषयशीर्षवार राशि का प्राक्कलन वर्ष 2021-22 को आधार बनाकर नहीं किया जाना है, बल्कि वेतनादि मद में कुल वास्तविक कार्यरत बल के अनुसार व्यय के आधार पर तथा गैर वेतनादि मद में राशि का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर औसत व्यय के अनुसार आवश्यकता के आलोक में किया जाना है।

5.4 कार्यरत बल के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ता:- स्थापना के लिए राशि का आकलन कार्यरत बल के आधार पर ही किया जाय। वर्ष के दौरान संभावित नियुक्तियों के लिए पूरक बजट में प्रावधान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में रिक्त पदों के विरुद्ध वेतनादि मद में बजट उपबंध नहीं किया जाय। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ता की गणना में वित्त विभागीय संकल्प सं0-3590 दिनांक-24.05.2017 द्वारा निर्धारित वेतनमान एवं जीवन यापन भत्ता में होनेवाले अनुमानित व्यय की गणना वेतन इकाई का 40 प्रतिशत मानते हुए की जानी है। अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के जीवन यापन भत्ता में होने वाले अनुमानित व्यय की गणना अपुनरीक्षित वेतन इकाई का 225 प्रतिशत मानते हुए की जानी है। मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्तों की गणना राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्राक्कलित की जाय।

अन्य भत्ते जो कर्मियों/पदाधिकारियों को दिये जाते हैं, उसे 'अन्य भत्ते' नामक विस्तृत एवं विषय शीर्ष में सम्मिलित किया जाना है। स्थापना से भिन्न व्यय को वर्ष 2021-22 के पूर्व के तीन वर्षों के औसत वास्तविक व्यय के स्तर या उससे आवश्यकतानुसार कम से कम पर रखा जाया। अगर किसी कारण से वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक व्यय से अधिक राशि अपेक्षित है तो उसका विस्तृत औचित्य अभ्युक्ति कॉलम (प्रपत्र-IV) में अवश्य स्पष्ट किया जाया।

5.5. गाड़ियाँ, दूरभाष, मोबाईल, वर्दीधारी कर्मियों की सूचना:- जिस उपशीर्ष में गाड़ियाँ, दूरभाष, वर्दीधारी कर्मियों पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता हो, उक्त उपशीर्ष में इसकी सूचना अंकित की जाया। (प्रपत्र-X)

5.6. स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची:- प्रत्येक कोटि के स्वीकृत एवं कार्यरत बल की संख्या संलग्न कर(प्रपत्र-V) भेजी जाया। प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन निगम/बोर्ड/वाणिज्यिक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनका वेतनादि ब्यौरा संबंधित विवरणी (प्रपत्र-IV/V/VI/VII) में ही दिया जाया।

5.7. वेतन राशि की गणना दिनांक-01.09.2021 को कार्यरत बल के आधार पर ही की जाय। स्वीकृत बल की सूचना प्रपत्र में अवश्य अंकित की जाय, भले ही उस बल के विरुद्ध कोई भी पदाधिकारी/कर्मि कार्यरत नहीं हों। लेकिन, रिक्त पदों के विरुद्ध वेतनादि मद में बजट उपबंध नहीं किया जाय।

5.8. पदों की समीक्षा के क्रम में अपने अधीन कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति के स्रोतों की भी समीक्षा कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कर्मियों के वेतन का प्रावधान किया जा रहा है, वे वैध रूप से नियुक्त है।

5.9. वर्दी भत्ता :- वित्त विभागीय संकल्प सं0-3ए-3-भत्ता-01/2017-1172/वि0 दिनांक-15.02.2018 की कंडिका- C (i) एवं C (ii) के आलोक में जिन कर्मियों को वर्ष में एकबार एकमुश्त 5000 रुपये वर्दीभत्ता अनुमान्य है, उसका प्राक्कलन विस्तृत एवं विषय शीर्ष 0107-अन्य भत्ता में तैयार किया जाय।

5.10. वाहन संधारण:- सरकारी वाहनों के लिए 13.02 - वाहन का ईंधन एवं रखरखाव मद् में तथा भाड़े पर लिए गये वाहन के लिए 13.10 - भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद् में राशि का प्रावधान किया जाय।

6. वार्षिक राज्य स्कीम:- राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तथा अन्य जनकल्याण की योजनाओं यथा- भवन निर्माण, सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, नहर का निर्माण/विस्तार, अचल संपत्ति/भूमि का क्रय आदि पर प्रस्तावित व्यय इसमें शामिल किये जाते हैं।

6.1. सर्वप्रथम विगत वर्षों की वैसी स्कीम के लिए राशि उपबंधित किया जाय, जो राज्य सरकार का वचनबद्ध दायित्व (Committed Liability) है। वचनबद्ध

35

दायित्वों से तात्पर्य उन सतत् स्कीमों (Ongoing Scheme) से है, जिन पर पूर्ववर्ती वर्षों में कार्य कराये गए हैं और अवशेष कार्य कराये जाने हैं।

6.2. कार्य विभागों के माध्यम से जो राशि व्यय की जानी है, उसके लिए राशि का प्रावधान कार्य विभागों के मांग के अन्तर्गत ही कराये जाय ताकि संक्षिप्त विपत्र पर अग्रिम निकासी से बचा जा सके। वजट प्राक्कलन विहित प्रपत्रों में कार्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जाना होगा। यदि प्रशासी विभाग द्वारा वजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है तो प्रपत्र के बायें भाग में प्रशासी विभाग और दायें भाग में कार्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

6.3. वैश्विक विकास की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूत्रित (Formulated) सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) एवं इनसे संबंधित Targets को प्राप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य में संचालित समस्त केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं में प्रस्तावित प्रावधानों को संबद्ध (Align) किया जाय। विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके विभाग द्वारा (Sustainable Development Goals) (SDGs) के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयार की गयी कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सुसंगत स्कीमों हेतु बजटीय उपबंध का प्रावधान किया जायेगा। इस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश योजना एवं विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

7. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम:- इसके अंतर्गत वैसे स्कीम सम्मिलित हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, परन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकार की आनुपातिक सहायता राशि से संचालित होती है। इन स्कीमों में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद् में राशि का प्रावधान अलग-अलग किया जाता है, परन्तु केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश राशि की निकासी एवं व्यय केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमान्य होगी।

7.1. केन्द्र प्रायोजित स्कीम के मामले में उपशीर्षवार राशि की प्रविष्टि केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिए अलग-अलग की जायेगी।

7.2. इन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए व्यय की जाने वाली केन्द्रांश राशि के साथ-साथ प्राप्ति का भी बजट प्राक्कलन दिया जाय। अगर वित्तीय वर्ष 2021-22 अथवा इसके पूर्व के वर्षों में राशि प्राप्त हो गयी है और राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया जाना प्रस्तावित है तो प्राप्ति के लिए अलग के बजट प्राक्कलन नहीं देना होगा। उन मामलों में व्यय के बजट प्राक्कलन के अभ्युक्ति कॉलम (प्रपत्र IV) में स्पष्ट रूप से दर्ज कर दिया जाय कि राशि किस स्वीकृति आदेश से किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई है।

7.3. बजट उपबंध करते समय स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित Allocation तथा तीन वर्षों में प्राप्त वास्तविक राशि को ध्यान में रखा जाय।

7.4. आप अवगत हैं कि केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात को वित्तीय वर्ष 2016-17 से NITI AYOOG-Government of India द्वारा निर्गत दिनांक-17.8.2016 के कार्यालय संकल्प द्वारा संशोधित किया गया है। अतः इस परिवर्तित Funding Pattern के अनुरूप ही बजट उपबंध किया जाय।

7.5. इन योजनाओं में चालू वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुमान योजना एवं विकास विभाग द्वारा जारी सीमा के अनुसार प्रस्तावित किये जायें। योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता (ब्लॉक ग्रांट सहित) तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों (central Sector Schemes) के आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में उन्हीं योजनाओं को सम्मिलित किया जाय जिनके लिए केन्द्र सरकार तथा संस्थाओं से राशि प्राप्ति के स्पष्ट संकेत प्राप्त हो गए हैं।

वार्षिक स्कीम 2022-23 हेतु व्यय का बजट प्राक्कलन योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित उद्ब्यय के अनुरूप दिया जाय और बजट प्राक्कलन देते समय यह अवश्य देख लिया जाय कि निर्धारित कर्णांकित परियोजनाओं के लिए बजट प्राक्कलन उद्ब्यय के अनुरूप कर्णांकित किया गया है अथवा नहीं। *वार्षिक स्कीमों का प्राक्कलन वित्त विभाग को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जाना है जिसकी सी0एफ0एम0एस0 में प्रविष्टि प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से की जायेगी।*

8. केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम- इसके अंतर्गत वैसे स्कीम सम्मिलित हैं जो केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत राशि से राज्य में संचालित की जा रही है। केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के मामले में राशि का बजटीय उपबंध करते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित Allocation मात्र तथा गत तीन वर्षों में प्राप्त वास्तविक राशि को ध्यान में रखा जाय।

9. नई परियोजनाएं:- इनके लिए बजट में राशि का उपबंध तभी किया जाय जब इनपर सक्षम स्तर से स्वीकृति दी गयी हो। यदि कोई नयी स्कीम प्रस्तावित की जा रही है तो इसके लिए वित्त विभाग के बजट शाखा से सम्पर्क स्थापित कर नया बजट शीर्ष गठित करा लिया जाए। किसी भी परिस्थिति में योजना एवं विकास विभाग द्वारा स्कीमवार एवं प्रक्षेत्रवार उपलब्ध कराये गए उद्ब्यय से अधिक राशि का प्रावधान नहीं किया जाय।

10. PFMS कोड:- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप दी जाने वाली केन्द्रांश की राशि से संबंधित परियोजनाओं के लिए एक कोड निर्धारित किया गया है। इन स्कीमों में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि अलग-अलग कर्णांकित होती है। महालेखाकार कार्यालय की यह अपेक्षा है कि उक्त स्कीमों के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में किये जा रहे बजट प्रावधान से संबंधित उपशीर्ष में स्कीम कोड (PFMS CODE) एवं परियोजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात

अंकित किया जाय। वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट पुस्तिका में इन उपशीर्षों के नीचे केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित किया जायेगा, जिसके लिए CFMS सॉफ्टवेयर में व्यवस्था की जा रही है। कोड की जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं होने पर इसकी सूचना वित्त विभाग के बजट शाखा से प्राप्त की जा सकती है। विभाग को उपरोक्त वर्णित स्कीम की प्रत्येक परियोजना के केन्द्रांश एवं राज्यांश के उपशीर्षों में उक्त कोड तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित करना सुनिश्चित किया जाना होगा एवं इन स्कीमों के लिए प्राप्त होने वाली राशि का प्रावधान बजट की प्राप्ति पुस्तिका के जिस उपशीर्ष में अंकित होता है उसमें भी उक्त कोड दिया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। भारत सरकार द्वारा कुछ स्कीमों के PFMS Code को बदल दिया गया है इसलिए नये कोड का मैपिंग कराना आवश्यक है।

11. राजस्व प्राप्तियाँ:- इनमें राज्य के करों से प्राप्त आय, राज्य के गैर-कर जैसे Royalty सार्वजनिक उपक्रमों से अर्जित लाभांश, सरकारी उधारों पर ब्याज अन्य स्रोतों से विभागों की आय, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त अनुदान आदि शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्तियों का प्राक्कलन तैयार करते समय प्रशासी विभाग द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

11.1. करों, शुल्कों(फीस) तथा अधिभारों आदि की वर्तमान दर।

11.2. गत तीन वर्षों में प्राप्ति की वास्तविक स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्तियों की वृद्धि दर की प्रवृत्ति।

11.3. पूर्व के वर्षों का बकाया तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में उसकी वसूली की संभावना।

11.4. अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अपनाये गए उपायों का राजस्व प्राप्तियों पर सकारात्मक प्रभाव।

11.5. यदि विगत वर्षों में राजस्व प्राप्तियाँ घटती-बढ़ती रही है तो पिछले तीन वर्षों के प्राप्तियों की औसत निकाल कर संभावित प्राप्ति की राशि निर्धारित की जाय।

11.6. मुख्य राजस्व संग्रहणकर्त्ता विभाग अपनी प्राप्तियों में संभावित वापसी को भी जोड़कर गणना करें।

11.7. 800-अन्य प्राप्तियाँ में बजट उपबंध करना एक अपारदर्शी प्रक्रिया है। अतः लघुशीर्ष-800- अन्य प्राप्तियाँ में यथासंभव बजट उपबंध नहीं किया जाए। यदि Online प्राप्ति शीर्ष (उपशीर्ष) उपलब्ध न हो तो इसे बजट शाखा से सम्पर्क कर नियमानुसार नया उपशीर्ष खोलवा लिया जाय।

11.8. प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन प्रपत्र-1 में तैयार किया जाय।

12. **नया उपशीर्षः-** प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित विपन्न कोड में ही बजट उपबंध किया जाय । कोई नई परियोजना/स्कीम, जिसके लिए राशि का बजट प्रावधान किया जाना अपेक्षित है, बजट प्रावधान करने के पूर्व वित्त विभाग तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श के उपरान्त राज्यादेश निर्गत कर, नया उपशीर्ष खोलना आवश्यक है । इस हेतु प्रशासी विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाय । महालेखाकार से सहमति प्राप्त होने के बाद ही नये बजट शीर्ष में उपबंधित राशि का व्यय किया जा सकता है ।

13. **अन्य व्यय या प्राप्ति लघु शीर्ष- 800 का प्रयोग:-** महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से यह अनुरोध किया जा रहा है कि विभिन्न मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष- 800- अन्य व्यय/ अन्य प्राप्ति के अधीन कार्यरत उपशीर्ष में राशि का प्रावधान नहीं किया जाए क्योंकि इससे व्यय एवं प्राप्ति का वास्तविक मद ज्ञात नहीं होता है । वित्तीय वर्ष 2021-22 तक लघुशीर्ष-800 अन्य व्यय के अधिकतम उपशीर्षों को समाप्त कर संगत लघुशीर्ष में कर्णांकित करवा दिया गया है । शेष बचे हुए लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय शीर्ष को वर्ष 2022-23 के बजट पुस्तिका में समाप्त कर संगत लघुशीर्ष में प्रावधान करना होगा । इसके लिए पृथक संचिका के माध्यम से वित्त विभाग प्रस्ताव भेजा जाना अपेक्षित है ।

राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्ति के अन्तर्गत कार्यरत उपशीर्ष को किसी अन्य संगत लघु शीर्ष के अन्तर्गत कर्णांकित किया जाना होगा । इसके लिए अलग से प्रस्ताव पृथक संचिका में भेजा जाना अपेक्षित है ।

14. **वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में व्यय:-** वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 पंद्रहवें वित्त आयोग का कार्यकाल है। अतः वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में निम्नवत बजट प्रावधान किया जाना है:-

14.1. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में SDRMF मद में केन्द्रांश अंतर्गत 1487.00 करोड़ रुपये एवं राज्यांश अंतर्गत 496.00 करोड़ रुपये सहित कुल 1983.00 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जाना अपेक्षित है ।

14.2. SDRMF - प्राकृतिक आपदा मद की राशि का दावा भारत सरकार से एस०डी०आर०एम०एफ० मद की प्राक्कलित राशि धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में अंकित की जानी होगी ।

14.3. पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में केन्द्रांश के रूप में 3842.00 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जाना अपेक्षित है ।

14.4. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में केन्द्रांश के रूप में कुल 1892.00 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जाना अपेक्षित है ।

15. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में व्यय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 षष्ठम् राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल है। षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिए जाने वाले Devolution एवं Grant का आधार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल वास्तविक व्यय राशि का क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 2.50 प्रतिशत होगा। अनुदान (Grant) की राशि का 50 प्रतिशत स्थानीय निकायों को सीधे तौर पर हस्तांतरित की जायेगी एवं शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उन स्कीमों के अंतर्गत व्यय किया जायेगा, जिनका उद्देश्य स्थानीय निकायों का विकास करना है। पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को कुल हस्तांतरित होने वाली राशि का अंतर विभाजन 65:35 के अनुपात में किया गया है।

अतः वर्ष 2022-23 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में निम्नवत् बजट प्रावधान किया जाना है:-

15.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4834.00 करोड़ रुपये **Devolution** एवं **Grant** के रूप में सीधे तौर पर सभी स्थानीय निकायों को अनुदान स्वरूप दी जाएगी, जिसमें 2654.00 करोड़ रुपये **Devolution** के रूप में तथा 2180.00 करोड़ रुपये **Grant** के रूप में देय होगा।

15.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं को 3142.00 करोड़ रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों को 1692.00 करोड़ रुपये कुल 4834.00 करोड़ रुपये सीधे तौर पर सहायक अनुदान के रूप में दिया जाना है, जिसके लिए बजट प्रावधान संबंधित प्रशासी विभाग को कराना होगा।

15.3 षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बजट प्रावकलन तैयार करते समय संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभागीय संकल्प 5164, दिनांक 13.08.2021 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

15.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आय एवं व्यय के आँकड़े प्राप्त होने के उपरान्त वर्तमान उपबंध को संशोधित कर दिया जायेगा।

16. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वैधानिक निगम/सहकारी संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थान/स्थानीय एवं स्वशासी निकायों/अन्य एकल ऋणी के मूलधन एवं सूद का विवरण:- किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वैधानिक निगम/सहकारी संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थान/स्थानीय एवं स्वशासी निकायों/अन्य एकल ऋणी द्वारा लिया गया ऋण, जिसके भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का है, के संबंध में उक्त भुगतान किये जाने वाले मूलधन एवं सूद की राशि का विवरण तैयार कर भेजा जाय। (प्रपत्र-III)

राज्य के PSU के लिए हिस्सापूजी हेतु बजटीय उपबंध संबंधित पूंजीगत मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष के लघु शीर्ष 190-Investment in PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश) में कराया जाय ।

17. परिणाम बजट:- विभिन्न स्कीमों में प्रस्तावित राशि के व्यय से जिन सम्पत्तियों एवं सेवाओं का सृजन होगा, उनकी संख्यात्मक विवरणी बजट दस्तावेजों के साथ तैयार की जायेगी । विभाग के अधीन राज्य स्कीम, केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित है, उनके भौतिक लक्ष्य/अन्य मात्रात्मक (Quantifiable) सूचनाओं के साथ प्रपत्र-XII में अलग से दी जाय ।

18. जेंडर बजट:- जिन परियोजनाओं को महिलाओं के कल्याणार्थ संचालित किया जा रहा है, उन योजनाओं में व्यय की जाने वाली राशि तथा प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्रपत्र-XI में उपलब्ध कराया जाय । वैसी योजनाएँ, जिनमें 30 प्रतिशत या उससे अधिक राशि महिलाओं के कल्याणार्थ व्यय की जायेगी, जेंडर बजट के अन्तर्गत शामिल किया जाय । इस हेतु दो श्रेणियों में विवरण उपलब्ध कराए जाय :- (i) वैसी परियोजनाएँ जिनमें 100 प्रतिशत राशि महिलाओं पर व्यय की जा रही है एवं (ii) वैसी परियोजनाएँ जिसमें 30 प्रतिशत या उससे अधिक (परन्तु 100 प्रतिशत से कम) राशि महिलाओं पर व्यय की जा रही है।

19. बाल कल्याण संबंधी स्कीम के लिए बजट:- राज्य के जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है । राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है । विभिन्न विभागों में जिन परियोजनाओं में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कल्याणार्थ यथा-शैक्षिक, स्वास्थ्य, बाल सुरक्षा, पोषाहार आदि कल्याणकारी स्कीमों पर व्यय किया जा रहा है, ऐसी स्कीमों की पहचान कर इस संदर्भ में सूचना/आंकड़े निर्धारित प्रपत्र-XIII में उपलब्ध कराये जाँ । संबंधित विभाग यथा- शिक्षा/समाज कल्याण/स्वास्थ्य/ग्रामीण विकास/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/अल्पसंख्यक कल्याण/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण/कला, संस्कृति एवं युवा/श्रम संसाधन/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/आपदा प्रबंधन/योजना एवं विकास/पंचायती राज एवं गृह विभाग द्वारा बाल कल्याण बजट के संदर्भ में परियोजनावार भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक व्यय का उल्लेख भी परियोजना की संक्षिप्त जानकारी के साथ प्रपत्र-XIII में किया जाय ।

20. हरित बजट (Green Budget) :- हरित बजट से अभिप्राय है पर्यावरणीय एवं जलवायुविक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साधनों के उपयोगार्थ बजटीय नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन करना । इसमें बजटीय एवं राजकोषीय नीति के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन के साथ-साथ राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं एवं आकलन का सामंजस्य भी सम्मिलित है। विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण के

29

लिए लाभप्रद एवं बढ़ावा देने वाले व्यय तथा नीतिगत कार्यों की पहचान कर इस संदर्भ में सूचना/आँकड़े विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराये जाएँ। संबंधित विभाग यथा- कृषि/उद्योग/पशु एवं मत्स्य संसाधन/पर्यटन/पथ निर्माण/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/गन्ना उद्योग/ग्रामीण कार्य/लघु जल संसाधन/पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन/जल संसाधन/भवन निर्माण/स्वास्थ्य/शिक्षा/ग्रामीण विकास/सूचना एवं जनसंपर्क/परिवहन/नगर विकास एवं आवास/ऊर्जा विभाग द्वारा हरित बजट के संदर्भ में परियोजनावार भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक व्यय का उल्लेख भी परियोजना की संक्षिप्त जानकारी के साथ विहित प्रपत्र में किया जाय।

21. आर्थिक सर्वेक्षण:- आगामी बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का उपस्थापन विधान मंडल में किया जाना है। वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF), पटना द्वारा किया जा रहा है। अतएव इससे संबंधित सूचनाएँ/आँकड़े वित्त विभाग तथा लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र, पटना को प्रेषित किये जायें। लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र द्वारा विभागों से जिन सूचनाओं एवं विवरणियों की माँग की जाए, उन्हें निर्धारित समय के अन्दर अवश्य उपलब्ध करायी जाए।

22. विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष तथा Bill Type:- बजट निर्माण में स्कीमों के लिए राशि का उपबंध सही विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में किया जाना चाहिए। वर्तमान में CFMS Software में Bill Type (BTC Bill Form) की मैपिंग विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष के साथ की गयी है। गलत विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में राशि का बजट उपबंध कराने से कोषागार से राशि की निकासी में समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए उचित विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष का चयन कर राशि का उपबंध कराया जाय।

23. सहायक अनुदान- सहायता, दान अथवा अंशदान के स्वरूप दिया जाने वाला भुगतान जो एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यष्टिकों को किये जाते हैं। सहायता अनुदान का सामान्य सिद्धांत है कि यह किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक निकाय अथवा संस्था को जिसकी अपनी विधिक प्राप्ति है, को दिया जा सकता है।

23.1 सहायक अनुदान मद की राशि का बजट उपबंध हमेशा राजस्व व्यय के मुख्यशीर्ष में ही किया जाय। सहायक अनुदान को विस्तृत एवं विषय शीर्षों की 3 श्रेणियों यथा- 3104-सहायक अनुदान वेतन, 3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण तथा 3106-सहायक अनुदान गैर वेतन में विभक्त किया गया है। अतः प्रशासी विभाग/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सहायक अनुदान में दी जाने वाली राशि का बजट उपबंध उपरोक्त विस्तृत एवं विषय शीर्ष के तहत कराने का प्रस्ताव दिया जाय।

23.2 विगत वर्षों में विभिन्न संस्थाओं, निकायों आदि को सहायक अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि आवश्यकता से अधिक उपबंध कराया गया है। अनुदान के रूप में दी गयी बड़ी राशि उसी वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं हो

पाती है, फलतः उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने में विलंब होता है। इस कारण से अगला सहायक अनुदान का भुगतान संभव नहीं हो पाता है। इसलिए यदि सहायक अनुदान की विमुक्ति नियमित रूप से प्रतिवर्ष की जानी है तो जरूरत के अनुसार ही सहायक अनुदान का बजट उपबंध कराया जाय ताकि उसी वित्तीय वर्ष में राशि व्यय हो जाय।

23.3 बजट प्राक्कलन तैयारी के समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाय कि स्थानीय निकायों के लिए बजट का उपबंध इससे संबंधित विशिष्ट लघु शीर्ष (यथा- 191, 192 एवं 193) अंतर्गत केवल सहायक अनुदान मद (यथा- 3104, 3105 एवं 3106) में ही कराया जाए। यदि सरकार द्वारा अंतिम लक्षित लाभकों को नगद राशि उपलब्ध करा देने मात्र से लोकधन का व्यय पूर्ण हो जाता है। जैसे आपदा राहत, सब्सिडी, छात्रवृत्ति आदि, तो ऐसी राशि का उपबंध सहायक अनुदान के रूप में नहीं किया जाए, बल्कि इसके लिए निर्धारित विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में ही बजट उपबंध कराया जाय।

23.4 वैसी परियोजनाएं जिसका क्रियान्वयन सरकारी कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों के माध्यम से कराया जाता है, उन परियोजनाओं में व्यय होने वाली राशि का बजट उपबंध सहायक अनुदान के रूप में नहीं कराया जाए। अपितु, व्यय के मद के लिए निर्धारित विस्तृत एवं विषय शीर्ष में कराया जाय। सुलभ प्रसंग हेतु प्राप्ति एवं व्यय के विस्तृत एवं विषय शीर्ष की सूची संलग्न है।

24. व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ:- विस्तृत शीर्ष 28- व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ को चार विषय शीर्षों में विभक्त किया गया है, 28.02-संविदा सेवाएँ, 28.03-कन्सलटेन्सी, 28.04-व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ तथा 28.05-परीक्षा संबंधी व्यय। इसी के अनुरूप राशि का प्रावधान कराया जाय।

25. कार्य मद के लिए उपबंध:- अनुरक्षण एवं मरम्मती, (इसमें सामग्री एवं मजदूरी दोनों शामिल है) लघु कार्य तथा बृहद् कार्य व्यय के लिए राशि का उपबंध क्रमशः विस्तृत एवं विषय शीर्ष 2702, 2701 तथा 5301 में ही किया जाय। विस्तृत एवं विषय शीर्ष 5301 में यदि राशि का बजट उपबंध कराया जाता है, तो पूंजीगत व्यय के निमित्त मुख्य शीर्ष 4001 से 5999 में ही बजट उपबंध कराया जाय। लघु कार्य एवं अनुरक्षण मरम्मति मद में राशि का प्रावधान केवल राजस्व व्यय के निमित्त मुख्य शीर्ष 2011 से 3999 में ही कराया जाय। लघु कार्य तथा अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य के लिए राशि का प्रावधान पूंजीगत मुख्य शीर्ष (4001-5999) में नहीं कराया जाय।

26. निर्माण कार्यों पर पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण के विद्यमान सिद्धांतों के अनुसार यदि निर्माण कार्य नया है या इस प्रकृति का है कि किये जा रहे व्यय के फलस्वरूप विद्यमान परिसंपत्ति के मूल्य में तात्त्विक (material) एवं स्थायी प्रकृति की वृद्धि हो तो इसका प्रावधान पूंजीगत व्यय के अधीन किया जाय। स्थायी संपत्ति या वस्तुओं के क्रय के लिए किये जा रहे प्रावधान भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही प्रस्तावित किये जायें। अस्थाई

26

प्रकृति की सामग्री के क्रय, अनुरक्षण/मरम्मती पर होने वाले व्यय एवं कार्यालय संचालन हेतु फुटकर व्ययों के लिए प्रावधान राजस्व व्यय मद में कराया जाय। संपत्ति के निर्माण से संबंधित व्यय का प्रावधान पूंजीगत मद में कराना है या राजस्व मद में, इसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति, जिसका निर्माण कराया जाना है या जिसके मूल्य में वृद्धि होगी इस संपत्ति का स्वामित्व किसका है। यदि स्वामित्व राज्य सरकार में निहित है तो व्यय का प्रावधान पूंजीगत मद में ही कराया जाय। यदि सृजित होने वाली संपत्ति का स्वामित्व स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था का है तो राशि का प्रावधान 3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण मद में राजस्व व्यय के अंतर्गत कराया जाय।

27. कई विभागों द्वारा पूंजीगत व्यय के मुख्य शीर्ष में वेतादि-01, कार्यालय व्यय-13, यात्रा व्यय-11 आदि में बजट का प्रावधान कराया जाता है, जिस पर महालेखाकार द्वारा आपत्ति दर्ज की जा रही है। इन प्रावधानों की समीक्षा की जाय कि क्यों नहीं इसे राजस्व व्यय के स्थापना मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वेतनादि या मजदूरी के रूप में उपबंधित किया जाय।

28. “लघु शीर्ष-800 तथा विस्तृत एवं विषय शीर्ष 5001-अन्य व्यय” मद में यथासंभव बजट प्रावधान नहीं किया जाय। यदि किसी मामले में इसका उपयोग करना भी पड़े तो उप शीर्ष का नामकरण व्यय एवं प्राप्ति के मद नाम से ही खोला जाय।

भाग-ग

29. वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित प्राक्कलन :

29.1 बजट मैनुअल के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को विनियोग की हर इकाई के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित प्राक्कलन का आकलन करना है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के इन आँकड़ों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन के निर्धारित स्तम्भ में अंकित किया जाना है।

29.2 पुनरीक्षित प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनर्विनियोग, अनुपूरक आगणन, बिहार आकस्मिकता निधि द्वारा प्रावधानित राशि एवं प्रत्यर्पित राशि/संभावित प्रत्यर्पित राशि के आधार पर किया जाय। इस संबंध में बजट मैनुअल के नियम 97 से 115 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन यथासंभव वास्तविकी के आस पास होना चाहिए।

29.3 बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन के आँकड़ों का आकलन विभाग को समय पर करना है, ताकि अतिरिक्त राशि की यदि आवश्यकता हो, तो उसका प्रावधान अनुपूरक मांग के आधार पर किया जा सके तथा वैसी अतिरिक्त राशि, जिसके खर्च की संभावना न हो, का प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर, 2021 तक विहित प्रपत्र में कर दिया जाय। उल्लेखनीय है कि

प्रत्यर्पण संबंधी ये आंकड़े अंतिम नहीं होंगे, क्योंकि निर्धारित तिथि के बाद भी अनुपूरक/अग्रिम/पुनर्विनियोग/प्रत्यर्पण की संभावना वर्ना रहती है ।

29.4 विभागों में सामान्यतः एक धारणा है कि उनके द्वारा की गई कोई अधिक मांग या संशोधित अनुमान के माध्यम से की गई कोई वृद्धि/कटौती स्वतः ही अतिरिक्त व्यय अनुमत करती है अथवा बजट के औपचारिक प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, वास्तविकता इसके विपरीत है । अतः समस्त बजट नियंत्री पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

(क) संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधान या अतिरिक्त व्यय को सम्मिलित करना, पुनर्विनियोजन या पूरक अनुदानों के माध्यम से अतिरिक्त निधियों के उपबंध की आवश्यकता को कम नहीं करता और न ही स्वतः ही उक्त अतिरिक्त व्यय करने की अनुमति देता है ।

(ख) यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा मंजूर किए गए किसी नए या अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग या पूरक अनुदान की मांगों के लिए अपेक्षित प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों द्वारा यथा-समय भेजे जाएं । इसी प्रकार यदि कोई बचत हो तो निर्धारित तारीख तक औपचारिक रूप से उपबंधित प्राक्कलन प्रत्यर्पित की जाए । वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता के उपायों एवं बैंकों में राशि संचित नहीं करने से संबंधित समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का अनिवार्यतः पालन किया जाय ।

29.5 प्रत्यर्पण:- प्रशासी विभाग सुनिश्चित करे कि जिस उपशीर्ष में उपबंधित प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है, अथवा राज्य स्कीम के परिवर्तन के फलस्वरूप मदों में प्रावधानित प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है, ऐसी राशि को दिनांक-31.12.2021 तक विहित प्रपत्र में प्रत्यर्पित किया जाय, ताकि पुनरीक्षित प्राक्कलन वास्तविक परक हो सके । पुनरीक्षित प्राक्कलन के आंकड़े भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक आदि के द्वारा व्यवहार में लाये जाते हैं और यदि उनमें अंकित आंकड़े वास्तविकता से परे होते हैं, तो राज्य सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है ।

29.6 वार्षिक स्कीम:- वार्षिक स्कीम 2021-22 के पुनरीक्षित प्राक्कलन का आधार योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभागों के लिए निर्धारित स्कीम उद्ब्यय है । अतः उक्त आधार पर पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रेषित किया जाय । योजना एवं विकास विभाग से अतिरिक्त उद्ब्यय या वर्तमान उद्ब्यय में आंतरिक सामंजन कराये बिना बजट उपबंध नहीं कराया जाय ।

29.7 राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों के लिए जो राशि बजट में अनुमानित की गयी है, अगर उतनी राशि प्राप्त होनी संभावित नहीं हो अथवा बढ़ोतरी संभावित हो, तो संशोधित अनुमान विभागों द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन में दिया जाना होगा ।

24

30. नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आय-व्ययक प्रस्ताव की जांच की जाए। वे इस बात की भी जांच कर लेंगे कि बजट जांच पत्रक परिशिष्ट-I एवं II में ठीक से भरा गया है।

31. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक से संबंधित समस्त प्रविष्टियां CFMS Software के माध्यम से की जानी है। CFMS में प्रविष्टि किये गये बजट प्राक्कलन की हार्ड प्रति विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत वित्त विभाग को भेजी जायेगी।

भाग घ. वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित प्राक्कलन का वित्त विभाग को प्रेषण :-

32. प्राक्कलन भेजने की निर्धारित तिथि-

व्यय के अंतर्गत	प्राप्ति के अंतर्गत
(i) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (ii) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	(i) राज्य के कर राजस्व (ii) राज्य के गैर-कर राजस्व (iii) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत प्राप्ति (iv) ऋणों की वसूली (v) एन0सी0डी0सी0 से ऋण एवं अनुदान की प्राप्ति

उपर्युक्त तालिका में अंकित व्यय एवं प्राप्ति अंतर्गत बजट प्राक्कलन 29 अक्टूबर, 2021 तक और वार्षिक स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित) के बजट प्राक्कलनों को योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभागवार उद्व्यय निर्धारित करने के उपरांत राज्य स्कीम, केन्द्र प्रायोजित स्कीम का केन्द्रांश, केन्द्र प्रायोजित स्कीम का राज्यांश, बाह्य संपोषित योजना, नाबार्ड संपोषित योजना, एस0सी0एस0पी एवं टी0एस0पी0 घटक में कर्णांकित उद्व्यय के अनुरूप आकलित करते हुए तत्समय यथाशीघ्र वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना होगा।

33. प्राक्कलन प्रति का प्रेषण :- बजट प्राक्कलन सीधे CFMS के डाटा बेस के माध्यम से तैयार किया जाय। विहित प्रपत्र-IV (व्यय), प्रपत्र-V में उपशीर्ष से संबंधित स्वीकृत एवं कार्यरत बल का विवरण ऑनलाईन CFMS की Site <http://e-nidhi.bihar.gov.in> पर विभागों द्वारा भरा जाना है। वित्त विभाग को भेजे जाने वाले हार्ड कॉपी में यह स्पष्ट किया जाय कि उपरोक्त प्रपत्र CFMS की Site पर किस तिथि को अपलोड किया गया है। बजट प्राक्कलन की एक प्रति वित्त विभाग, दो प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हक0) एवं एक प्रति प्रशासी विभाग को निर्धारित तिथि तक भेजी जाय। बजट प्राक्कलन तैयार करने हेतु विहित प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। अतिरिक्त अपेक्षित प्रतियाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट अथवा छायाप्रति कराकर इस्तेमाल किया जा सकता है। विहित प्रपत्रों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) एक्सेल

सीट (Excel Sheet) में भरकर वित्त विभाग को भेजी जाय। प्राप्ति एवं व्यय के प्राक्कलन के साथ-साथ Annexure V, VI, VIII भरा जाना आवश्यक है।

34. सभी विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से समस्त वांछित सूचनाएं प्राप्त कर विभागीय मुख्यालय स्तर पर समेकित कर लें, जिससे नये CFMS Software में ससमय सूचना आंकड़ों की प्रविष्टि में विलम्ब ना हो। CFMS Software में online प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना अलग से दी जायेगी।

अनुरोध है कि निर्धारित विहित प्रपत्रों में सभी सूचनाओं एवं आंकड़ों के साथ बजट प्राक्कलन तैयार कर जांच-पत्रक (परिशिष्ट-1) सहित वित्त विभाग को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय। सभी विहित प्रपत्र एवं जांच-पत्रक इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

17/09/2021
 (एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव।

नियंत्री पदाधिकारियों के लिए बजट प्राक्कलन 2022-23 प्रथम संस्करण
हेतु जांच-पत्रक

क्रम संख्या	विषय-बिन्दु	नियंत्री पदाधिकारियों के मंतव्य (हां या ना)
----------------	-------------	--

1. क्या आय-व्ययक प्राक्कलन प्रपत्र-1 प्राप्ति के वास्तविकी स्तम्भ (3,4,5,6,7,8,9 एवं 10) यथोचित रूप से भरे गये हैं ?
2. क्या नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा आय-व्ययक प्राक्कलन प्रपत्र-IV व्यय तैयार किया गया, पुनरीक्षित एवं बजट प्राक्कलन, प्रपत्र के स्तम्भ 9 एवं 11 में राशि अंकन करने के समय वेतन एवं जीवन यापन भत्ते के साथ अन्य मदों के लिए राशि को हजार में कर दिया गया है ?
3. क्या प्रत्येक उप-शीर्ष के अन्तर्गत वृद्धि अथवा कमी के लिये स्पष्टीकरण अभ्युक्ति स्तम्भ में दे दिया गया है तथा सुसंगत सरकारी आदेश जहाँ जरूरत है, उद्धृत किया गया है?
4. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा स्थापना के लिए राशि कार्यरत बल के आधार पर आकलन किया गया है? क्या विस्तृत सूचना प्रपत्र-IV एवं V में अंकित कर दिया गया है?
5. क्या व्यय के पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाने में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में किये गये उपबंध, पुनर्विनियोग, ऐसे स्वीकृत स्कीमों को जिसका उपबंध द्वितीय/तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में होना प्रस्तावित है उसे सम्मिलित कर प्रस्ताव दिया गया है?
6. क्या पुनरीक्षित एवं बजट प्राक्कलन दिये गये मार्गदर्शन एवं योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक स्कीम उद्व्यय की अधिसीमा के अन्तर्गत तैयार किया गया है?
7. क्या राज्य स्कीम के लिये अलग प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है?
8. क्या केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए अलग-अलग प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है? क्या इनके लिए प्राप्ति बजट भी तैयार कर दिया गया है?
9. क्या नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा यथानिर्मित प्रथम संस्करण प्राक्कलन पूर्णतया स्थायी खर्चों पर आधारित है और अथवा जिसमें सरकार की अनुमति पहले से ही प्राप्त है अर्थात् इन प्राक्कलनों में वार्षिक आधार पर चलने वाली ऐसी कोई नई अथवा अस्थायी योजना समाविष्ट नहीं है ?
10. क्या पुनरीक्षित एवं बजट की प्राप्ति एवं व्यय की घट-बढ़ के लिये पूर्ण स्पष्टीकरण एक अलग टिप्पणी में दिया गया है?

- 2)
11. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बजट प्राक्कलन के संलग्न प्रपत्र XII में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य/परिणाम का विवरण अंकित कर दिया गया है?
 12. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बजट प्राक्कलन के संलग्न प्रपत्र XI में जेंडर बजट के संदर्भ में परियोजनाओं, कार्यक्रम एवं प्रावधान किये जाने वाली राशि का विवरण अंकित कर दिया गया है?
 13. क्या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बजट प्राक्कलन के संलग्न प्रपत्र XIII में बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट के संदर्भ में परियोजनाओं/कार्यक्रमों के विरुद्ध प्रावधान किये जाने वाली राशि का विवरण अंकित कर दिया गया है?

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नियंत्री पदाधिकारी का पदनाम

:-

दिनांक